अर्थव्यवस्था · Economy

RBI ने संशोधित किए KYC नियम और गैर-बैंक भुगतान ऑपरेटरों हेतु जारी किए साइबर सुरक्षा मानक

आरबीआई ने ग्राहकों के लिए बार-बार केवाईसी की बाध्यता समाप्त कर यूसीआईसी आधारित सत्यापन लागू किया और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए कड़े साइबर सुरक्षा निर्देश जारी किए।

अर्थव्यवस्था · Economy

1. RBI के नए KYC नियम लागू

- अब UCIC स्तर पर होगा ग्राहक सत्यापन
- एक ही बैंक में बार-बार KYC देने से मुक्ति
- 7 दिनों में CKYCR पोर्टल पर डेटा अपडेट जरूरी

अर्थव्यवस्था · Economy

2. डिजिटल भुगतान पर कड़े साइबर नियम

- गैर-बैंक PSOs (NPCI, कार्ड नेटवर्क) पर लागू
- साइबर हमले की 6 घंटे में RBI को सूचना अनिवार्य
- मोबाइल/ईमेल बदलने पर 12 घंटे का कूलिंग पीरियड

अर्थव्यवस्था · Economy

3. छोटे PSOs को 2028 तक का समय

- PSS Act 2007 के तहत जारी हुए मास्टर निर्देश
- बड़े व मध्यम ऑपरेटरों के लिए नियम तत्काल लागू
- छोटे गैर-बैंक ऑपरेटरों को 1 अप्रैल 2028 तक मोहलत

अर्थव्यवस्था · Economy

4. SBI के रिकॉर्ड नतीजे: सुधरी परिसंपत्ति

- Q2 शुद्ध लाभ 14.3% बढ़कर ₹23,038 करोड़
- बैंक की कुल ऋण पुस्तिका ₹52 लाख करोड़ के पार
- सकल एनपीए (Gross NPA) घटकर 1.39% पर आया

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

केवाईसी संशोधन अधिसूचना तिथि	6 नवंबर 2024 / 2026
UCIC का पूर्ण रूप	Unique Customer Identification Code
साइबर सुरक्षा निर्देश का वैधानिक आधार	PSS Act 2007 (धारा 10(2) व 18)
साइबर घटना रिपोर्टिंग समय-सीमा	पहचान के 6 घंटे के भीतर
छोटे गैर-बैंक PSOs हेतु अनुपालन समय-सीमा	1 अप्रैल 2028
सी-केवाईसीआर (CKYCR) संचालक संस्था	CERSAI

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नवंबर में जारी संशोधित केवाईसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, किस स्तर पर ग्राहक पहचान प्रक्रिया (CDD) लागू की जाएगी ताकि बार-बार सत्यापन न कराना पड़े?

A आधार वर्चुअल आईडी (VID) स्तर पर

B विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (UCIC) स्तर पर

C स्थायी खाता संख्या (PAN) स्तर पर

D सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट स्तर पर

उत्तर / Answer: B — आरबीआई के संशोधित नियमों के अनुसार, विनियमित संस्थाएँ यूसीआईसी (UCIC) स्तर पर सीडीडी लागू करेंगी, जिससे मौजूदा ग्राहकों को उसी संस्था में नई सेवा लेते समय बार-बार केवाईसी नहीं करानी होगी।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (PSOs) के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण दिशा-निर्देश किस अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं?

A भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

B बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

C भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

उत्तर / Answer: C — यह मास्टर दिशा-निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS Act, 2007) की धारा 10(2) सहपठित धारा 18 के तहत जारी किए गए हैं।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends